बिहार विधान परिषद्

186वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 4

02 भाद्र , 1939 (श.)

गुरुवार, तिथि ----------

24 अगस्त, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 21

1.	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	....	....	01
2.	गृह (विशेष) विभाग	....	....	04
3.	गृह (कारा) विभाग	....	....	01
4.	लघु जल संसाधन विभाग	....	....	01
5.	समाज कल्याण विभाग	....	....	05
6.	जल संसाधन विभाग	....	....	04
7.	परिवहन विभाग	....	....	02
8.	श्रम संसाधन विभाग	....	....	01
9.	पर्यावरण एवं वन विभाग	....	....	01
10.	अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**21**

प्रभारियों पर कार्रवाई

***** 36. **श्री सुबोध कुमार** : क्या मंत्री, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में पूर्ण शराब बंदी लागू है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा लागू पूर्ण शराब बंदी में यह प्रावधान किया गया है कि जिस थाने में शराब पकड़ी जायेगी, उस थाने के प्रभारी को निलंबित कर उस पर कार्रवाई की जायेगी;

(ग) क्या यह सही है कि आये दिन राज्य के विभिन्न इलाकों में काफी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी जा रही है तथा संबंधित थाना के थानेदारों के संरक्षण में शराब तस्करों का धंधा फल-फूल रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य के किन-किन थानों में कितनी मात्रा में शराब पकड़ी गई है तथा उन थानों के प्रभारियों पर क्या-क्या कार्रवाई हुई है?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

***** 37. **मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अरबल नगर परिषद के वार्ड नं.-4 के अंतर्गत वासिलपुर में कब्रिस्तान है जिसका खाता सं.-66, प्लॉट नं.-538 एवं 536, एराजी 79 डिसमिल एवं 47 डिसमिल है, जिसकी घेराबंदी नहीं हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा कई बार कब्रिस्तान अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप साम्प्रदायिक सौहार्द का खतरा उत्पन्न हो जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी प्राथमिकता के आधार पर कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उपकारा का गठन

***** 38. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, गृह (कारा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत डुमरांव अनुमंडल का गठन 22 अप्रैल, 1994 को हुआ था;

(ख) क्या यह सही है कि डुमरांव अनुमंडल में आज तक उपकारा भवन नहीं बना है, गठन भी नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो कबतक सरकार डुमरांव अनुमंडल में उपकारा का गठन कराना चाहती है ?

बंद पड़े नलकूप चालू कबतक

***** 39. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चंचारण जिले में तीन सौ स्टेट ट्यूबवेल लगाये गये हैं;

(ख) क्या यह सही है कि कार्यपालक अभियंता के अनुसार मात्र एक सौ ही नलकूप चालू हैं और दो सौ सरकारी नलकूप खराब हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सभी नलकूपों को सरकार कबतक चालू करने का विचार रखती है, ताकि किसानों के खेतों को समुचित पानी की आपूर्ति हो सके ?

वेतन वृद्धि कबतक

***** 40. **श्री उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश सं.-1447, दिनांक-19.6.2006 सं.-367, दिनांक-1.3.2008 एवं सं.-1708, दिनांक-14.8.2008 द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संचालित होने वाले पर्यवेक्षक गृहों, बालिका गृह निशांत, पटना तथा स्वीकृत्यादेश सं.-2049, दिनांक-31.12.2007 द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के लिए अनुबंध के आधार पर नवसृजित विभिन्न पदों पर नियोजन के लिए विज्ञापन निकाला गया;

(ख) क्या यह सही है कि इन दोनों विज्ञापन के आलोक में बिहार के सभी जिलों में जिला स्तरीय पैनल के माध्यम से वर्ष 2011 से 2014 के बीच नियोजन किया गया, जो वर्तमान में सभी जिलों में कार्यरत हैं;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2007 में निर्धारित मानदेय पर ही अभी तक सभी कर्मी कार्य कर रहे हैं, इनका मानदेय वृद्धि के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है जबकि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प का ज्ञापांक-2401, दिनांक-18.7.2007 द्वारा नियोजित कर्मी को देय पारिश्रमिक का निर्धारण विभागीय सचिव, का. एवं प्र.सु. विभाग तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव स्तर से अन्य पदाधिकारी से गठित समिति बाजार दर को देखते हुए पारिश्रमिक का निर्धारण करेगी;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन दोनों विज्ञापन के आलोक में कार्य कर रहे नियोजित कर्मियों का वेतन वृद्धि करेगी, यदि हां तो कबतक ?

पुल का निर्माण

***** 41. **डा. रामवचन राय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सिवान जिलान्तर्गत रघुनाथपुर प्रखंड के बीच घाघरा नदी बहती है जिस पर पुल नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नदी के नरहट घाट से प्रतिदिन नाव द्वारा लोगों को आना-जाना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि बलिया जाने के लिए मांझी होते हुए 90 कि.मी. का लम्बा सफर तय करना पड़ता है जो खर्चीला है और उसमें समय भी अधिक लगता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में घाघरा नदी के नरहट घाट पर कबतक पुल का निर्माण करना चाहती है ?

बस सेवा शुरू कबतक

***** 42. **श्री दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चंपारण जिला के भितिहरवा आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में किया था और यह स्थल संपूर्ण देश में ही नहीं विदेशों में भी गांधी के चंपारण सत्याग्रह एवं रचनात्मक कार्यक्रमों के मुख्य स्थल के रूप में स्थापित है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना से भितिहरवा तक सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं रहने के कारण लोगों को वहां तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना से भितिहरवा तक सीधी बस सेवा शुरू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

कैनाल का जीर्णोद्धार

***** 43. **श्री राजन कुमार सिंह** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला के नॉर्थ कोयल नहर के सैकड़ों गांवों के किसान लाभान्वित होते आ रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कैनाल की स्थिति काफी जर्जर हो गयी है, जिससे उस इलाके के किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त इलाके के किसानों की सुविधा का ध्यान रखते हुए कैनाल का जीर्णोद्धार कार्य कबतक कराना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

जांच की व्यवस्था

***** 44. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि इन दिनों बालश्रम अपराध बाल व्यापार और वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बड़ी संख्या में बच्चे-बच्चियों की तस्करी की घटनाएं सामने आ रही हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बाल तस्करी की ये घटनाएं संगठित गिरोह द्वारा निम्न आय वर्ग के परिवारों में से होती हैं तथा तस्करी के नेटवर्क में शामिल लोग गवाह नहीं मिलने के कारण बच निकलते हैं, जिससे राज्य में 86 प्रतिशत अपहरण के मामले लंबित हैं, जिनमें अधिकांश बाल तस्करी के मामले हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाल तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से गांव का बाल रजिस्टर बनाने, पंचायत स्तर पर निगरानी समिति बनाने तथा विद्यालय में उपस्थिति की नियमित जांच की व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

***** 45. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत नदी थाना, फतुहा के समसपुर गांव में श्री रौशन कुमार, पुत्र-श्री मनोज कुमार ठाकुर, ग्राम-थाना-हाथीदह, जिला पटना की दिनांक-9.4.2017 को पिटाई कर फांसी पर लटका दिया गया जिसकी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में इलाज के दौरान दिनांक-23.4.2017 को मौत हो गई;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त हत्या के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नदी थाना, फतुहा, पटना द्वारा आजतक नहीं किए जाने की वजह से मनोबल ऊंचा रहने के कारण उक्त अभियुक्तों द्वारा पुन: दिनांक-9.7.2017 को सूचक की छोटी पुत्री को पीट-पीट कर घायल कर दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

भवन का निर्माण

***** 46. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिले में हथुआ आई.टी.आई., हथुआ में अवस्थित है, जिसका भवन अत्यंत जर्जर अवस्था में है;

(ख) क्या यह सही है कि हथुआ आई.टी.आई. के भवन के निर्माण हेतु उचाकागांव प्रखंड के अरना में फरवरी माह में तीन एकड़ भूमि अधिकृत कर ली गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य सरकार हथुआ आई.टी.आई. के भवन का निर्माण कबतक कराना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर -- (क) वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिले में अवस्थित आई.टी.आई., हथुआ का संचालन किराये के भवन में किया जा रहा है।

(ख) स्वीकारात्मक । जिला समाहर्त्ता, गोपालगंज के पत्रांक-1655, दिनांक - 05.08.16 के द्वारा गोपालगंज जिला के उचकागांव अंचलान्तर्गत मौजा-अरना, थाना नं. -844, खाता नं.-184, खेसरा नं.-410, रकवा-3.00 एकड़ भूमि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हथुआ के भवन निर्माण हेतु हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। आई.टी.आई., हथुआ के भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा राशि 1680.00 लाख (सोलह करोड़ अस्सी लाख) रुपये का उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर प्रशानिक स्वीकृति हेतु स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ग) उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अपना भवन कबतक

***** 47. **श्री सी.पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत रूपसपुर थाना दलित छात्रावास में चल रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि रूपसपुर थाना का अपना भवन नहीं होने से थाना कार्य संचालन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि पटना के कई थाना भवन का निर्माण कराया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पटना जिलान्तर्गत रूपसपुर थाना के लिए अपना भवन बनवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

मानदेय भुगतान एवं बढ़ाने पर विचार

***** 48. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के 91,677 आंगनबाड़ी केन्द्रों की लगभग 1 लाख 60 हजार सेविकाओं एवं सहायिकाओं का महीनों से मानदेय भुगतान नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 3750 रुपये एवं सहायिकाओं को 1875 रुपये प्रति माह मानदेय भुगतान हो रहा है, जो इस महंगाई के अनुकूल कम है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य की सेविकाओं एवं सहायिकाओं का मानदेय अविलम्ब भुगतान करने एवं मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

एच.सी.एफ. गैसों की रोकथाम

***** 49. **श्री सोनेलाल मेहता** : क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पृथ्वी की सतह से 15-30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की एक परत विद्यमान है;

(ख) क्या यह सही है कि ओजोन की परत सूरज की अल्ट्रावाइलेट (पराबैंगनी) किरणों को 98.99 प्रतिशत तक सोख लेती है;

(ग) क्या यह सही है कि रेफ्रीजरेटर्स व अन्य कुलिंग उपकरणों में इस्तेमाल होनेवाली क्लोरो फ्लोरा कार्बन (सी.एफ.सी.) गैसों में शामिल क्लोराइड गैस से ओजोन परत में छेद हो जाता है, जिसके कारण उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के ऊपर एक बड़ा छिद्र पाया गया है, जिसे 1980 से पहले की स्थिति में लाने में 2050 वर्ष लगने का अनुमान है तथा 1987 की मॉट्रियल संधि के तहत ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली सी.एफ.सी. गैसों को बंद किये जाने की संधि पर विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जा रही एच.सी.एफ.सी. गैसों से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली सी.एफ.सी. गैसों को रोकना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दोषियों पर अनुशासनिक कार्रवाई

***** 50. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड अंतर्गत दहिवत माधोपुर (पश्चिमी) के आंगनबाड़ी केन्द्र सं. 193 की आंगनबाड़ी सेविका द्वारा टी.एच.आर. तथा पोशक राशि के वितरण में अनियमितता की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त अनियमितता के संबंध में पोषक क्षेत्र के लाभार्थियों के द्वारा दिनांक 6.8.2016 को जिला पदाधिकारी, मधुबनी को लिखित रूप से उक्त विषय के संबंध में शिकायत समर्पित की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि विगत 10 माह से जिला पदाधिकारी, मधुबनी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS), मधुबनी तथा वरीय उप समाहर्ता के बीच पत्राचार ही किया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र सं. 193 के लाभार्थियों को टी.एच.आर. तथा पोशाक राशि का समुचित वितरण कराने तथा अबतक हुई गड़बड़ियों के दोषियों के ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई करेगी, यदि हां तो कबतक ?

दोनों योजनाओं की राशि कबतक

***** 51. **श्री दिनेश प्रसाद सिंह** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में कबीर अंत्येष्टि योजना की राशि एवं कन्या विवाह योजना की राशि पंचायतों के माध्यम से खर्च की जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार की किसी पंचायत में कबीर अंत्येष्टि योजना की राशि नहीं है और वर्ष 2014 के बाद से कन्या विवाह योजना की राशि पंचायतों में नहीं भेजी गयी है, जिससे काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य की सभी पंचायतों में उक्त दोनों योजनाओं की राशि भेजना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

अनियमितता की जांच

* 52. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमंडल, एकंगर सराय द्वारा बहोदी बिगहा से बेरवा तक बायां तरफ के तटबंध का निर्माण एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तटबंध का निर्माण कराने वाली एजेंसी के द्वारा प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं कराया जा रहा है, एजेंसी द्वारा न तो बोर्ड लगाया गया है, न तो तटबंध में दोनों तरफ से मिट्टी दी गई है। तटबंध की ऊंचाई एवं चौड़ाई भी मानक के अनुसार नहीं है, साथ ही तटबंध में निर्माण किए गये पुल-पुलिया में गुणवत्ता के अनुसार सरिया, गिट्टी एवं सीमेंट का उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खंड 'ख' में वर्णित तटबंध निर्माण में बरती गई अनियमितता की जांच वरीय पदाधिकारी से कराने एवं संबंधित दोषी एजेंसी/ पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार सरकार रखती है?

समस्याओं से निजात

* 53. **श्री राजेश राम** : क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चंपारण जिले के प्रखंड बगहा-2 अंतर्गत अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, मेड्रौल एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, सिधांव में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षक, शौचालय, जर्जर छात्रावास का भवन, वर्ग कक्षा, विद्युत प्रकाश, मोटर, चापाकल, किताब एवं पोशाक इत्यादि समस्याओं से काफी परेशानी है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को वर्णित समस्याओं से निजात दिलाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

नियमों का अनुपालन

***** 54. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य में निजी बसों पर क्षमता से अधिक यात्रियों को भीतर और बाहर छतों पर बैठाकर बसों को संचालित किया जाता है, जिससे आये दिन हादसे होते रहते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि निजी बसों में अधिकांश के पास कोड रजिस्ट्रेशन नहीं है और सरकार यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए कोई समुचित कार्रवाई भी नहीं कर पाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में यातायात नियमों के अनुपालन हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

सिंचाई की व्यवस्था

***** 55. **श्री मनोज यादव** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बांका जिला में नदियों से लगातार बालू के अवैध उत्खनन के कारण सिंचाई व्यवस्था चरमरा गई है;

(ख) क्या यह सही है कि संवेदक द्वारा सरकार के नियमों एवं मानकों को दरकिनार कर संवेदक द्वारा बालू उठाव के लिए चेन पोकलेन बड़ी जेसीबी से 3 मीटर की जगह 10 मीटर तक नदियों को गहरा किये जाने के कारण खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि खंड 'ख' में वर्णित तथ्यों के कारण चांदन, कटोरिया, बांका, वेल्हर, अमरपुर, रजौन व धोरैया प्रखंड सहित भागलपुर जिला के भी कई इलाकों में सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संवेदक द्वारा अवैध उत्खनन को रोकते हुए सिंचाई की समस्या का समाधान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रध्यापिका के विरुद्ध कार्रवाई

***** 56. **श्री संजय सिंह** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती कुमारी लता प्रधानाध्यापिका, आर्य कन्या उच्च विद्यालय, नया टोला, पटना का जाली प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति/प्रोन्नति होने के कारण निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 596, दिनांक 12.6.2017 के आलोक में उन्हें सेवा से बरखास्त कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक - 8424, दिनांक 21.12.2016 के आदेश के आलोक में श्रीमती कुमारी लता के विरुद्ध श्री सुनील कुमार यादव, सचिव, आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, नया टोला, पटना द्वारा प्राथमिकी संख्या 285/2017 दर्ज कराई गई है;

(ग) क्या यह सही है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद अभीतक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(घ) क्या यह सही है कि श्रीमती कुमारी लता द्वारा छद्म सेवा के दौरान की गई अवैध निकासी की राशि से संबंधित प्राथमिकी जो दर्ज कराई गई है, की वसूली के संबंध में अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जाली प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने तथा प्रोन्नति लेने वाली प्रध्यापिका के विरुद्ध ठोस कानूनी कार्रवाई करेगी, यदि हां तो कबतक?

पटना
दिनांक 24 अगस्त, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्